



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी, 1988
षोष 17, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 17/सत्रह-वि०-१--१(क)-27-1987

लखनऊ, 7 जनवरी, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 7 जनवरी, 1988 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1988]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 14 दिसम्बर, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 11
सन् 1966 की धारा
29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का
संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिये जायेंगे।

निरसन और
बचवाह

4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्कालीन उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी माना इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर
अध्य
संख्या
सन् 1

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 17(2)/XVII-V-1-1(Ka) 27-1987

Date Lucknow, January 7, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Samiti (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 7, 1988:

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (THIRD AMENDMENT) ACT, 1987

(U. P. ACT No. 3 OF 1988)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-eighth year of the Republic of India :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 14, 1987.

Amendment of
section 29 of
U. P. Act no. XI
of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso, for the word and figures "December 31, 1987" the word and figures "June 30, 1988" shall be substituted.

Amendment of
section 35

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6) in the proviso, for the word and figures "December 31, 1987" the word and figures "June 30, 1988" shall be substituted.

Repeal and
saving

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U.P. Ord
nance
no. 14 of
1987

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.